

उपरोक्त अधिकांशी  
रामगढ (अलवर) जिला

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)  
तस्वीची प्रतिवादीगण.....

10. खड्गीराम पुत्र मंगरू निवासियान वारिसपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
9. दयाराम पुत्र मंगरू
8. कज्जीराम पुत्र मंगरू
7. जयनारायण पुत्र दिलसिख
6. नानागाराम पुत्र दिलसिख
5. लखाराम पुत्र मण्डू
4. धनीराम पुत्र हीरालाल
3. नीतराम पुत्र हीरालाल

असल प्रतिवादीगण.....

2. तहसीलदार (फॉ 310) रामगढ।
1. राजस्थान सरकार जय जिला कलेक्टर महीदय, अलवर

बनाम

.....वादीगण

4. प्रताप सिंह उर्फ छोटलाल पुत्र चुन्ना जातिथान गुर्जर निवासियान वारिसपुर तहडो रामगढ अलवर।
- 3/7 भावानी पुत्री वारिसान प्यारलाल निवासियान ग्राम वारिसपुर तहसील रामगढ जिला
- 3/6 लीतन पुत्री
- 3/5 सुन्दर पुत्री
- 3/4 धर्मवीर पुत्र
- 3/3 रामचन्द पुत्र
- 3/2 नारायण पुत्र
- 3/1 सुरस्ती पत्नी
3. प्यारलाल पुत्र चुन्ना (मृतक) रामगढ।
- 2/4 धनकौशी पुत्र व पुत्रियान वारिसान भुंटेराम निवासियान ग्राम वारिसपुर तहसील
- 2/3 रत्नीराम
- 2/2 मोहरसिंह
- 2/1 बनीसिंह
2. भुंटेरा राम पुत्र चुन्ना (मृतक)
1. भावानी राम पुत्र चुन्ना

उत्तवान

17.05.2018

गोपीख निर्णय

14.10.2014

गोपीख रज

25 / 14

अधिकांशी :- श्री. बाल कृष्ण निवाडी आर. ए. एस.

अधिकांशी लोक अदालत न्याय आपकें द्वार / कैम्प कोर्ट खोह

न्यायालय उपखण्ड अधिकांशी एवं पदेन सहायक कलेक्टर रामगढ (अलवर)

नम्बर व  
अहकाम नं  
की तारीख नं



उत्तर प्रदेश आधिकारिक  
समाचार (अनार) राजीव

22

जांच कर राजस्व अभिलेख में खातेदार दरमद किये जाने का अहकाम प्रतिवादीगण को

कर माया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जसै समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया। जिसका निम्न इस प्रकार है कि राज्य सरकार के विरुद्ध वाद जाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस नहीं दिया गया है जो दिया जाना लाजिम था। इसी आधार पर वाद खारिज योग्य है। साथ ही वादी द्वारा वाद में वर्णित आराजी के आवंटन के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वाद वादी निरस्त करमाने की कृपा करें।

मौका पर्चा दिनांक 10.06.2015 के अनुसार बाके ग्राम खोह में स्थित आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 0.21, 516 रकबा 0.22, 518 रकबा 0.25, 519 रकबा 0.26, 515 रकबा 0.60, 522 रकबा 0.35, 520 रकबा 0.14, 517 रकबा 0.53, 523 रकबा 0.40 हैक्टो, 521 रकबा 0.57, 567 रकबा 0.35 किता 11 रकबा 3.88 हैक्टो की मौका जांच की गई। जिसके 1/4 हिस्से पर मवासी, मुटाराम, प्यारेलाल, प्रतापसिंह उर्फ छोटेलाल पुत्र चुन्ना जाति गुर्जर निवासी बरिसपुर की कच्चा काहत बलाई गई। उपस्थित ग्रामीणों के हस्ताक्षर कराये गये।

वादीगण ने दावे की लाईट में हाल जमाबन्दी समेत 2068-71, खसरा निरदावही समेत 2068-71, मिलान क्षेपकल समेत 2058, जमाबन्दी समेत 2024 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आफके द्वारा कैम्प कोर्ट / जिलिय ग्राम पंचायत खोह में दिनांक 17.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी समेत 2024 में मवासी, मुटार निगरान चुन्ना समान ग्राम अन्य हिस्सेदारान के साथ दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का खोह द्वारा मौका पर्चा में भी आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 0.21, 516 रकबा 0.22, 518 रकबा 0.25, 519 रकबा 0.26, 515 रकबा 0.60, 522 रकबा 0.35, 520 रकबा 0.14, 517 रकबा 0.53, 523 रकबा 0.40 हैक्टो, 521 रकबा 0.57, 567 रकबा 0.35 किता 11 रकबा 3.88 हैक्टो के 1/4 हिस्से पर मवासी, मुटाराम,

(अधीन) (अधीन)  
 अधीन अधीन  
 अधीन अधीन

गया।

निर्णय से द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट खोह से सुनाया  
 होकर दाखिल दफतर हो।

जावे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल ग़ुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम  
 जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम और खातेदार के स्थान पर खातेदार किया  
 को समान भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया  
 रकबा 0.35 हैक्ट0 बाकें ग्राम खोह तहसील रामगढ जिला अलवर के 1/4 हिस्से का वादीगण  
 522 रकबा 0.35, 520 रकबा 0.14, 517 रकबा 0.53, 523 रकबा 0.40, 521 रकबा 0.57, 567  
 नम्बरान 475 रकबा 0.21, 516 रकबा 0.22, 518 रकबा 0.25, 519 रकबा 0.26, 515 रकबा 0.60,  
 बिस्वा, 237 मिन रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 235 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जिसका हाल खसरा  
 बिस्वा, 237 मिन रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 236 रकबा 11 बिस्वा, 238 मिन रकबा 2 बीघा 2  
 खसरा नम्बरान 238 मिन रकबा 17 बिस्वा, 239 मिन रकबा 2 बीघा, 249 मिन रकबा 2 बीघा 7  
 वादीगण का बाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आरजी साबिक  
 दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

को बाबत प्रोत्तर्ण हो चुके है। वादीगण को एडवर्स प्रजेसन के आधार पर खातेदारी अधिकार  
 को द्वारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार वादग्रस्त आरजीयात  
 कम्प्लेक्स से प्रतीत होता है कि वादीगण का कब्जा काफी समय से चला आ रहा है। वादीगण  
 को बताई गई। खसरा निरदावरी सम्वत 2068-71 में भी वादीगण की काश्त दर्ज है। जिससे  
 प्काराल, प्रतापसिंह उर्फ छोटेलात पुत्र चुन्ना जालि गुर्जर निवासी वारिसपुर की कब्जा

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर) राज 10

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)  
..... तरलीवी प्रतिवादीगण

10. खड़ीराम पुत्र मंगरू निवासियान बारिसपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

9. दयाराम पुत्र मंगरू

8. कल्याणाम पुत्र मंगरू

7. जयनारायण पुत्र दिलसिख

6. नानाराम पुत्र दिलसिख

5. खजूराम पुत्र मंगरू

4. धनीराम पुत्र हरालाल

3. नैराम पुत्र हरालाल

.....असल प्रतिवादीगण

2. तहसीलदार (मौ 310) रामगढ़।

1. राजस्थान सरकार जयू जिला कलेक्टर महोदय, अलवर

बनाम

.....वादीगण

4. प्रताप सिंह उर्फ छोटलाल पुत्र सुन्ना जातियान गुजर निवासियान बारिसपुर तहसील रामगढ़ अलवर।

3/7 मंगरानी पुत्री बारिसान पारेलाल निवासियान ग्राम बारिसपुर तहसील रामगढ़ जिला

3/6 लीन पुत्री

3/5 मन्दर पुत्री

3/4 धर्मवीर पुत्र

3/3 रामबन्द पुत्र

3/2 नारायण पुत्र

3/1 सुरस्ती पत्नी

3. पारेलाल पुत्र सुन्ना (मृतक)

रामगढ़।

2/4 धनकौशी पुत्र व पुत्रियान बारिसान भूटाराम निवासियान ग्राम बारिसपुर तहसील

2/3 रत्नीराम

2/2 मोहरसिंह

2/1 बनीसिंह

2. भूटाराम पुत्र सुन्ना (मृतक)

1. मवासी राम पुत्र सुन्ना,

(पुत्री हिकी)

उत्तमान

17.05.2018

14.10.2014

14 / 215

गौरीख निरुप

गौरीख रज

अधिकारी :- श्री बाल कृष्ण निवासी आर ए एस

अधिकारी लोक अदालत न्याय आपक हर / कैम्प कोर्ट खोह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर रामगढ़ (अलवर)

(आवेदन) शिवाजी  
 उपखण्ड, अहमदनगर  
 जिल्हा

पर्वी जिल्हा आज दिनांक 17.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

खातेदार किया जावे।

आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम गैरखातेदार के स्थान पर  
 वादीगण को समान भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा तहसीलदार रामगढ को  
 0.57, 567 रकबा 0.35 हेक्टेर 0.35 रकबा 0.14, 517 रकबा 0.53, 523 रकबा 0.40, 521 रकबा  
 रकबा 0.60, 522 रकबा 0.35, 520 रकबा 0.14, 517 रकबा 0.53, 523 रकबा 0.40, 521 रकबा  
 खसरा नम्बरान 475 रकबा 0.21, 516 रकबा 0.22, 518 रकबा 0.25, 519 रकबा 0.26, 515  
 2 बिस्वा, 237 मिन रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 235 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जिसका हाल  
 बीघा 7 बिस्वा, 237 मिन रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 236 रकबा 11 बिस्वा, 238 मिन रकबा 2 बीघा  
 बिस्वा खसरा नम्बरान 238 मिन रकबा 17 बिस्वा, 239 मिन रकबा 2 बीघा, 249 मिन रकबा 2  
 वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार जिल्हा किया जाता है कि आराजी

पर्वी जिल्हा  
 (2)